BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINALAPPLICATION NO. 278 OF 2026

THE MATTER OF:

Pranav Kumar Singh …. Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. …. Respondents

INDEX

NDOH : 14.07.2026

S. No.	Particulars	Pages
1.	Response Affidavit On The Behalf Ot The Respondent No. 3 Of The Uttar Pradesh Pollution Control Board In Compliance To The Order Dated 18.05.2026 Passed By The Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi	
2.	Annexure- 1 A copy of the inspection report dated 08.06.2026 along with photographs (with GPS).	
3.	Annexure- 2 A copy of the notice dated 11.06.2026	
4.	Annexure- 3 A copy of the recommendation letter dated 15.06.2026	
5.	Annexure- 4 A copy of the show cause notice letter dated 07.07.2026	
6.	Annexure- 5 A copy of the letter dated 03.07.2026	
7.	Annexure- 6 A copy of joint committee inspection report dated 11.07.2026	

Respondent No.3
Through

(HARSHITA RAGHUVANSHI)
Advocate for the Respondent No.3,
Chamber No. 439, 4th Floor,
Block D, Additional Building Complex,
Supreme Court, New Delhi-01
Mobile No. 8090217309
E-mail: harshitaraghuvanshi@hotmail.com

Dated: 13.07.2026

New Delhi

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 278 OF 2026

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY S. PATHAK GOVT. OF INDIA

S. No. 474 DATE 11/7/26 NOTARY INDIA

IN THE MATTER OF:

Pranav Kumar Singh **...APPLICANT**

VERSUS

State of Uttar Pradesh & Ors. **...RESPONDENT(S)**

RESPONSE AFFIDAVIT ON THE BEHALF OT THE RESPONDENT NO. 3 OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 18.05.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I ...Rohit Singh......, aged about ...54........ Year, S/o Shri ..N.C. Sachan.., presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter "UPPCB"), Varanasi, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

NOTARY S. PATHAK Advocate Distt.- Varanasi, UP Regd. No.-13472/2017 GOVT. OF INDIA

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.

2. That I state that the contents of this reply have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

BACKGROUND OF THE MATTER

3. In the present Original Application, the applicant has raised the grievance against the Bitumen Hot-Mix Plant of M/s Vinod Kumar Rai, located at Village Sujaanpur, NH-124C, District Ghazipur, Uttar Pradesh, at geo-coordinates Latitude: 25.569529, Longitude: 83.623642.

4. That, the Hon'ble Tribunal vide order dated 18.05.2026 issued the following directions:

> *"………5. Prima facie the averments made in the application raise substantial questions relating to environment arising out of the implementation of the 3 enactments specified in Schedule-I to the National Green Tribunal Act, 2010.*
>
> *6. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh*

NOTARY
S. PATHAK
Advocate
Distt-Varanasi, UP
Regd. No.-13412/2017
GOVT. OF INDIA

through Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh; (2) District Magistrate, Ghazipur and; (3) Uttar Pradesh State Pollution Control Board through Member Secretary who are impleaded as respondents no. 1 to 3.

7. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and to issue notices to respondents no. 1 to 3 along with copies of the original application and documents attached with the same.

8. Replies/responses by respondents no. 1 to 3 may be filed within two months.

9. List on 14.07.2026 for further consideration……….."

NOTARY S. PATHAK Advocate Distt-Varanasi, UP Regd. No. 13472/2017 GOVT. OF INDIA

<u>*RESPONSE REPLY IS AS FOLLOWS*</u>

5. That in compliance to the order dated 18.05.2026 passed by this Hon'ble Tribunal, inspection was carried out by the UPPCB officials on 08.06.2026. During the inspection, Hot mix plant was found not operational and no any person available as representative. The Hot Mix plant is established adjacent to National Highway-124C in the North direction & adjacent to the Applicant's house in the West

direction. A copy of the inspection report dated 08.06.2026 along with photographs (with GPS) is being attached herewith and marked as **Annexure-R3/1**.

6. That, as per office records the project proponent of Hot Mix Plant has not obtained Consent to Establish (CTE) or Consent to Operate (CTO) under Water Act, 1974 and Air Act, 1981 to the State Board.

7. That the UPPCB has sent a notice to project proponent of Hot Mix Plant vide letter no. 433/NGT OA No. 278/2026/27, dated 11.06.2026 regarding to obtain Consent to Establish (CTE) or Consent to Operate (CTO) under Water Act, 1974 and Air Act, 1981 from the State Board. A copy of the notice dated 11.06.2026 is being attached herewith and marked as **Annexure-R3/2.**

8. That in pursuant to the above, Regional Office, UPPCB, Varanasi has sent recommendation letter to Head Office, Lucknow to issuing show cause notice against the project proponent of Hot Mix Plant under Section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended) vide letter 450/NGT OA No. 278/2026/27, dated 15.06.2026. A copy of the recommendation letter dated 15.06.2026 is being attached herewith and marked as **Annexure-R3/3.**

NOTARY S. PATHAK Advocate Distt-Varanasi, UP Regd. No. 13472/2017 GOVT. OF INDIA

9. That on the basis of Regional Office, Varanasi recommendation letter dated 15.06.2026, UPPCB (Head Office), Lucknow issued a show cause notice to the project proponent under Section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended) vide its letter dated 07.07.2026. A copy of the show cause notice letter dated 07.07.2026 is being attached herewith and marked as **Annexure-R3/4.**

10. That in compliance to the order dated 18.05.2026 passed by this Hon'ble Tribunal, The District Magistrate, Ghazipur has constituted a joint committee comprising SDM, Sadar, Ghazipur, DFO, Ghazipur, Nominated member of Regional Office, UP Pollution Control Board, Varanasi and Executive Engineer, Public Work Department, Ghazipur for inspection of concerned Hot Mix Plant vide letter dated 03.07.2026. A copy of the letter dated 03.07.2026 is being attached herewith and marked as **Annexure-R3/5.**

11. That in compliance of the order dated 03.07.2026 of District Magistrate, Ghazipur, joint inspection was carried out by the joint committee on 07.07.2026 of the concerned Hot Mix Plant. During joint committee inspection the concerned Hot Mix Plant was also found non-operational. A copy of joint committee inspection report

NOTARY
S. PATHAK
Advocate
Distt-Varanasi UP
Regd. No.-15472/2017
GOVT. OF INDIA

dated 11.07.2026 is being attached herewith and marked as **Annexure-R3/6.**

12. That the deponent, in faithful compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, is filing the present affidavit and remains duty-bound to ensure compliance with the directions in their true letter and spirit.

13. Hence, this brief reply is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

14. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Varanasi on this 11th day of July 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 14 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
S. PATHAK
Advocate
Distt-Varanasi, UP
Regd. No. 13472/2017
GOVT. OF INDIA

Sworn Before Me & Solemnly Affirm Signature and Contents Verified Today
11/7/26

S. PATHAK Advocate
NOTARY GOVT. OF INDIA
Varanasi
Reg. No. 13472/2017

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली, में योजित O.A. No. 278/2026 प्रणव कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 एवं अन्य में मेसर्स विनोद कुमार राय द्वारा स्थापित बिटूमिन हॉटमिक्स प्लाण्ट ग्राम–सुजानपुर, एन0एच0–124सी, जनपद– गाजीपुर के विरूद्ध कि गयी शिकायत के सन्दर्भ में निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली, में योजित O.A. No. 278/2026 प्रणव कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.05.2026 के अनुपालन में मेसर्स विनोद कुमार राय द्वारा स्थापित बिटूमिन हॉटमिक्स प्लाण्ट ग्राम–सुजानपुर, एन0एच0–124सी, जनपद–गाजीपुर का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 08.06.2026 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

1. उक्त प्रश्नगत शिकायती इकाई ग्राम–सुजानपुर, एन0एच0–124सी, जनपद– गाजीपुर पर स्थापित है। उक्त इकाई जिओ को–आर्डिनेन्ट अक्षांश–25.569529, देशान्तर–83.623642 है।
2. निरीक्षण के समय प्रश्नगत इकाई में कोई भी उपस्थित नहीं था एवं इकाई का संचालन बन्द पाया गया।
3. निरीक्षण के समय प्रश्नगत इकाई की चिमनी से चारों दिशाओं की भौगोलिक स्थिति निम्नवत् है:–

पूरब दिशाः	सटे जी0पी0टी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स का प्लाण्ट तत्पश्चात् लगभग 300 मीटर की दूरी पर गोल्डेन स्पोर्ट्स व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थित है।
पश्चिम दिशाः	सटे 01 मकान तत्पश्चात् लगभग 250 मीटर की दूरी पर 02–04 व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं 650 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन सुहवल स्थित है।
उत्तर दिशा	सटे एन0एच0 124सी तत्पश्चात् लगभग 600 मीटर की दूरी पर सुजानपुर की आबादी स्थित है।
उत्तर पूरब दिशाः	लगभग 250 मीटर की दूरी पर 03 घर एवं लगभग 600 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय स्थित है।
दक्षिण दिशाः	सटे जी0पी0टी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स का प्लाण्ट तत्पश्चात् लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय, मिर्जापुर एवं लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम–चकबक्सन की आबादी स्थित है।

4. प्रश्नगत इकाई में ईधन दहन के फलस्वरूप जनित होने वाले प्रक्रिय/गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु हॉटमिक्स प्लाण्ट से संलग्न चिमनी के साथ वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं संलग्न चिमनी की ऊंचाई बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त इकाई को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (सी0टी0ई0) एवं संचालन हेतु सहमति (जल/वायु) आदेश निर्गत नहीं किया गया है।
6. प्रश्नगत इकाई को इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–433/NGT OA No-278/2026-27 दिनांक 11.06.2026 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है।
7. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत इकाई **मेसर्स विनोद कुमार राय द्वारा स्थापित बिटूमिन हॉटमिक्स प्लाण्ट ग्राम–सुजानपुर, एन0एच0–124सी, जनपद–गाजीपुर** को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31'ए' के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

17/06/26
(अतुल ठेनुआ)
अवर अभियन्ता

17-06-26
(सी0पी0 वर्मा)
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

17/06/26

मेसर्स विनोद कुमार राय द्वारा स्थापित बिटूमिन हॉटमिक्स प्लाण्ट ग्राम–सुजानपुर, एन0एच0–124सी, जनपद– गाजीपुर का निरीक्षण दिनांक 08.06.2026 के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स

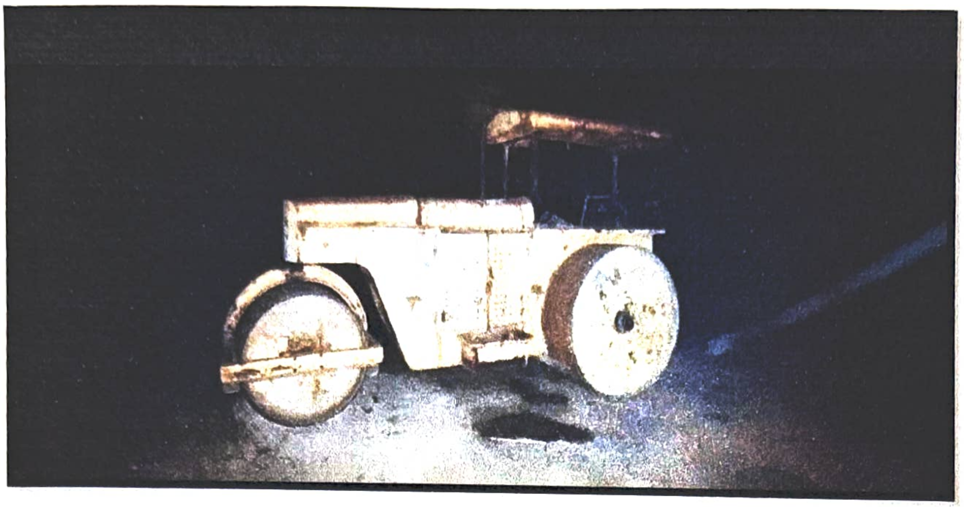

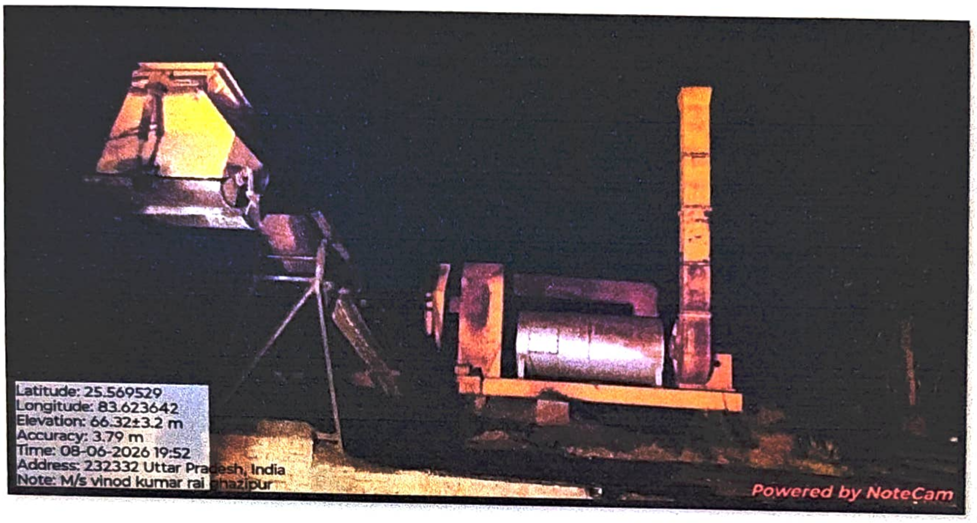

Annexure R3/2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

संदर्भ सं0 / Ref.No. 433/MGTOA No-278/2026/27 दिनांक / Date 11-6-26

पंजीकृत डाक द्वारा

सेवा में,

मेसर्स विनोद कुमार राय
ग्राम–सुजानपुर, एन0एच0–124सी,
जनपद–गाजीपुर

विषयः **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के अनुपालन में सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त वर्णित अधिनियमों के अनुपालनार्थ एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली, में योजित O.A. No. 278/2026 प्रणव कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 एवं अन्य में मेसर्स विनोद कुमार राय ग्राम–सुजानपुर, एन0एच0–124सी, जनपद– गाजीपुर में स्थापित बिटूमिन हॉटमिक्स प्लाण्ट के विरूद्ध कि गयी शिकायत के सन्दर्भ में आपके उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय के कार्मिकों द्वारा दिनांक 08.06.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई स्थल पर कोई भी इकाई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। कार्यालय में अभिलेखों का परीक्षणोपरान्त तथ्य प्रकाश में आया कि आपके उद्योग को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति एवं संचालनार्थ सहमति (जल एवं वायु) निर्गत नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उद्योग से किसी भी प्रकार के घरेलू/औद्योगिक उत्प्रवाह/बहिस्राव के निस्तारण से पूर्व निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत करना एवं किसी भी प्रकार की फ्लू गैस/प्रक्रिया उत्सर्जन के वायुमण्डल में उत्सर्जित करने से पहले मानकों की पूर्ति करते हुए संचालन से पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के अर्न्तगत राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति एवं संचालनार्थ सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त किया जाना प्राविधानित है। आप द्वारा वर्तमान में बिना स्थापनार्थ सहमति/सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये उद्योग की स्थापना/संचालन किया गया है, जो कि उपरोक्त वर्णित अधिनियमों का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त वर्णित अधिनियमों के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु उ0प्र0 सरकार की निवेश मित्र की वेबसाईट (www.niveshmitra.up.nic.in) पर पूर्ण सूचनाओं एवं वांछित सहमति शुल्क के साथ तत्काल ऑनलाईन आवेदन कर राज्य बोर्ड से सहमति (सी0टी0ओ0) प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1974 (यथासंशोधित) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) में वर्णित प्राविधानो के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व उद्योग एवं उद्योग संचालन में उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

भवदीय,

(रोहित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
i/c

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि :– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
i/c

क्षेत्रीय कार्यालय : आवास विकास ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी–221010, दूरभाष : 0542–2275951
मुख्यालयः टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, दूरभाष : 0522–2720828, 2720681, 2720831. फैक्स : 0522–2720764
ई–मेल : info@uppcb.in वेबसाइट : www.uppcb.com

Annexure R3/3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,वाराणसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

संदर्भसं./Ref.No. 450/NGT OA No-270/2026-27 दिनांक/Date 15-6-26

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः मेसर्स विनोद कुमार राय द्वारा स्थापित बिटूमिन हॉटमिक्स प्लाण्ट ग्राम-सुजानपुर, एन0एच0-124सी, जनपद-गाजीपुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संदर्भित इकाई का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 08.06.2026 को किया गया। इस कार्यालय की निरीक्षण आख्या संलग्न है। आख्यानुसार प्रश्नगत इकाई ग्राम-सुजानपुर, एन0एच0-124सी, जनपद-गाजीपुर में स्थापित है, जिसका जिओ को-आर्डिनेन्ट अक्षांश-25.569529, देशान्तर-83.623642 है। इकाई एक बिटूमिन हॉटमिक्स प्लाण्ट है, जिसमें बिटुमिन, सैण्ड एवं एग्रीगेट आदि का प्रयोग कर बीटूमिनस मैकेडम का उत्पादन किया जाता है। इकाई में ईंधन दहन के फलस्वरूप जनित होने वाले प्रक्रिय/गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु हॉटमिक्स प्लाण्ट से संलग्न चिमनी के साथ वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं संलग्न चिमनी की ऊंचाई बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त इकाई को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (सी0टी0ई0) एवं संचालन हेतु सहमति (जल/वायु) आदेश निर्गत नहीं किया गया है।

अतः इस कार्यालय की निरीक्षण आख्या के दृष्टिगत उक्त संदर्भित इकाई मेसर्स विनोद कुमार राय द्वारा स्थापित बिटूमिन हॉटमिक्स प्लाण्ट ग्राम-सुजानपुर, एन0एच0-124सी, जनपद-गाजीपुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(रोहित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
o/c

Annexure R3/4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow -226010
Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ संख्या 1143118/सी0-6/ सा0-561/का0न0नो0/वाराणसी/2026 दिनांक 01-07-26

सेवा में, पंजीकृत

मेसर्स विनोद कुमार राय द्वारा स्थापित बिटूमिन हॉटमिक्स प्लाण्ट
ग्राम-सुजानपुर, एन0एच0-124सी,
जनपद-गाजीपुर। **(Mobile No. -----------------)**

यह कि मेसर्स विनोद कुमार राय द्वारा स्थापित बिटूमिन हॉटमिक्स प्लाण्ट ग्राम-सुजानपुर, एन0एच0-124सी, जनपद-गाजीपुर में कच्चे माल के रूप में बिटुमिन, सैण्ड एवं एग्रीगेट आदि का प्रयोग कर बीटूमिनस मैकेडम का उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है. जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-2 (ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी के पत्र दिनांक 15.06.2026 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण आख्या के अनुसार मेसर्स विनोद कुमार राय द्वारा स्थापित बिटूमिन हॉटमिक्स प्लाण्ट ग्राम-सुजानपुर, एन0एच0-124सी, जनपद-गाजीपुर का निरीक्षण दिनांक 08.06.2026 को किया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी की उक्त आख्यानुसार बिटूमिन हॉटमिक्स प्लाण्ट के पूरब दिशा में सटे जी0पी0टी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स का प्लाण्ट तत्पश्चात् लगभग 300 मीटर की दूरी पर गोल्डेन स्पोर्ट्स व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थित है, पश्चिम दिशा में सटे 01 मकान तत्पश्चात् लगभग 250 मीटर की दूरी पर 02-04 व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं 650 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन सुहवल स्थित है, उत्तर दिशा में सटे एन0एच0 124सी तत्पश्चात् लगभग 600 मीटर की दूरी पर सुजानपुर की आबादी स्थित है, उत्तर पूरब दिशा में लगभग 250 मीटर की दूरी पर 03 घर एवं लगभग 600 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय स्थित है। दक्षिण दिशा में सटे जी0पी0टी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स का प्लाण्ट तत्पश्चात् लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय, मिर्जापुर एवं लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम-चकबक्सन की आबादी स्थित है।

यह कि उद्योग में ईंधन दहन के फलस्वरूप जनित होने वाले प्रक्रिया/गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु हॉटमिक्स प्लाण्ट से संलग्न चिमनी के साथ वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं संलग्न चिमनी की ऊँचाई निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं है।

यह कि उद्योग राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित/संचालित किया गया है।

उक्त परिस्थितियों में उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन दर्शाता है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मेसर्स विनोद कुमार राय द्वारा स्थापित बिटूमिन हॉटमिक्स प्लाण्ट ग्राम-सुजानपुर, एन0एच0-124सी, जनपद-गाजीपुर द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के आज्ञापक प्राविधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप क्षेत्रीय

अधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र दिनांक 15.06.2026 के माध्यम से उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि बिटूमिन हॉटमिक्स प्लाण्ट के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त उद्योग मेसर्स विनोद कुमार राय द्वारा स्थापित बिटूमिन हॉटमिक्स प्लाण्ट ग्राम-सुजानपुर, एन0एच0-124सी, जनपद-गाजीपुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न मेसर्स विनोद कुमार राय द्वारा स्थापित बिटूमिन हॉटमिक्स प्लाण्ट ग्राम-सुजानपुर, एन0एच0-124सी, जनपद-गाजीपुर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये ?
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाये कि वह आपके उद्योग मेसर्स विनोद कुमार राय द्वारा स्थापित बिटूमिन हॉटमिक्स प्लाण्ट ग्राम-सुजानपुर, एन0एच0-124सी, जनपद-गाजीपुर को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें?

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उसके स्वामी का होगा।

भवदीय,

संलग्नकः- यथोपरि।

Digitally signed by
ANAND KUMAR ANAND
Date: 07-07-2026
16:31:11

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रभारी),
वृत्त-6

प्रतिलिपिः-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जिलाधिकारी, गाजीपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0, गाजीपुर
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सुस्पष्ट संस्तुति 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Annexure R3/5

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर

पत्रांक : 672 /मा0 एन0जी0टी0 ओ0ए0 संख्या–278/2026/26–27, दिनांक : 03/07/2026

आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली, में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–278/2026 प्रणव कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.05.2026 (छायाप्रति संलग्न), जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"..5. *Prima facie the averments made in the application raise substantial questions relating to environment arising out of the implementation of the 3 enactments specified in Schedule-I to the National Green Tribunal Act, 2010.*

6. *In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh; (2) District Magistrate, Ghazipur and; (3) Uttar Pradesh State Pollution Control Board through Member Secretary who are impleaded as respondents no. 1 to 3. ...*"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत प्रश्नगत बिटुमेन हॉट–मिक्स प्लांट मैसर्स विनोद कुमार राय, ग्राम सुजानपुर, एनएच–124सी, जनपद–गाज़ीपुर का स्थलीय सत्यापन एवं संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की संयुक्त टीम गठित की जाती है :–

1. उपजिलाधिकारी सदर, गाजीपुर।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, गाजीपुर।
3. क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा नामित सदस्य।
4. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गाजीपुर।

उक्त संयुक्त टीम के सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संदर्भित बिटुमेन हॉट–मिक्स प्लांट का संयुक्त निरीक्षण तीन दिवस के अन्तर्गत सुनिश्चित करते हुये आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में शासन के अधिवक्ता से समन्वय स्थापित कर यथा आवश्यक कार्यवाही ससमय सुनिश्चित किया जा सकें।

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट
गाजीपुर
%C

पत्रांक एवं दिनांक :उपरोक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित :–

1. उपजिलाधिकारी सदर, गाजीपुर।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, गाजीपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।
4. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गाजीपुर।

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट
गाजीपुर
%C

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली, में योजित O.A. No. 278/2026 प्रणव कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 एवं अन्य में मेसर्स विनोद कुमार राय द्वारा स्थापित बिटूमिन हॉटमिक्स प्लाण्ट ग्राम–सुजानपुर, एन0एच0–124सी, जनपद–गाजीपुर के विरूद्ध की गयी शिकायत के सन्दर्भ में जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर के आदेश दिनांक 03.07.2026 के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली, में योजित O.A. No. 278/2026 प्रणव कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.05.2026 के अनुपालन में मेसर्स विनोद कुमार राय द्वारा स्थापित बिटूमिन हॉटमिक्स प्लाण्ट ग्राम–सुजानपुर, एन0एच0–124सी, जनपद–गाजीपुर का निरीक्षण किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर के आदेश पत्रांक 672/मा0 एन0जी0टी0 ओ0ए0 संख्या–278/2026/26–27, दिनांक 03.07.2026 द्वारा संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जिसके अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.07.2026 को प्रश्नगत हॉट मिक्स प्लांट का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री अरविन्द सिंह (सुपरवाईजर) इकाई प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। विस्तृत संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

1. उक्त प्रश्नगत हॉट मिक्स प्लांट ग्राम–सुजानपुर, एन0एच0–124सी, जनपद–गाजीपुर पर स्थापित है, जिसका जिओ को–आर्डिनेट अक्षांश–25.569529, देशान्तर–83.623642 है।
2. निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त हॉट मिक्स प्लांट 50 डी0एम0 एस्फाल्ट ड्रम मिक्स प्रकार का प्लांट है, जिसकी उत्पादन क्षमता लगभग 30 टन/घंटा की है।
3. निरीक्षण के समय हॉट मिक्स प्लांट का संचालन बन्द पाया गया एवं मौके पर उपस्थित इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि हॉट मिक्स प्लांट का संचालन स्वंय के कारणों से विगत 02 वर्षों से बन्द है।
4. निरीक्षण के समय इकाई से चारों दिशाओं की भौगोलिक स्थिति निम्नवत् हैः–

   पूरब दिशाः सटे जी0पी0टी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स का प्लाण्ट तत्पश्चात् लगभग 300 मीटर की दूरी पर गोल्डेन स्पोर्ट्स व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थित है।

   पश्चिम दिशाः सटे 01 मकान (शिकायकर्ता श्री प्रणव कुमार सिंह का आवास) तत्पश्चात् लगभग 250 मीटर की दूरी पर 02–04 व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं 650 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन सुहवल स्थित च

   उत्तर दिशा सटे एन0एच0 124सी तत्पश्चात् लगभग 600 मीटर की दूरी पर सुजानपुर की आबादी स्थित है।

   उत्तर पूरब दिशाः लगभग 250 मीटर की दूरी पर 03 घर एवं लगभग 600 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय स्थित है।

   दक्षिण दिशाः सटे जी0पी0टी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स का प्लाण्ट तत्पश्चात् लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय, मिर्जापुर एवं लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम–चकबक्सन की आबादी स्थित है।
5. उक्त हॉट मिक्स प्लांट में ईंधन दहन के फलस्वरूप जनित होने वाले प्रक्रिय/गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु हॉटमिक्स प्लाण्ट से संलग्न चिमनी के साथ वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं संलग्न चिमनी की ऊंचाई बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है।
6. क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त इकाई को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (सी0टी0ई0) एवं संचालन हेतु सहमति (जल/वायु) आदेश निर्गत नहीं किया गया है तथा इस

कार्यालय के पत्रांक संख्या–433/NGT OA No-278/2026-27 दिनांक 11.06.2026 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी में अद्यतन तक प्राप्त नहीं है।

7. क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त हॉट मिक्स प्लांट को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक एच. 43118/सी–6/सा0–561/का0ब0नो0/वाराणसी/2026, दिनांक 07.07.2026 द्वारा वायु (प्रदूषण निवरण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31 'ए' के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसकी प्रति हॉट मिक्स प्लांट प्रतिनिधि को दिनांक 10.07.2026 को प्राप्त कराया गया है।

8. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

10/07/2026

अवर अभियन्ता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
वाराणसी

10/07/26

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
वाराणसी

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
गाजीपुर

उपजिलाधिकारी
सदर, गाजीपुर

मेसर्स विनोद कुमार राय द्वारा स्थापित बिटूमिन हॉटमिक्स प्लाण्ट ग्राम–सुजानपुर, एन0एच0–124सी,
जनपद–गाजीपर